



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032026-271040  
CG-DL-E-18032026-271040

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1327]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2026/फाल्गुन 26, 1947

No. 1327]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2026/PHALGUNA 26, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026

का.आ. 1387(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज
(1)	(2)	(3)
नया एनएच-9	रामपुर - बिलासपुर - इंदरपुर गांव - करतारपुर गांव खंड के निकट उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड सीमा (उत्तर प्रदेश राज्य में)	50.8 किमी
नया एनएच-9	करतारपुर गांव - भामरौला गांव - लालपुर - सितारगंज खंड के निकट उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड सीमा (उत्तराखंड राज्य में)	38.8 किमी

नया एनएच-309	भामरौला गांव - इंदिरा चौक (रुद्रपुर) - कोलादिया गांव - काशीपुर खंड के निकट रुद्रपुर बाईपास पर एनएच - 9 के साथ जंक्शन (उत्तराखंड राज्य में)	70.5 किमी
--------------	--	-----------

[फा. सं. एनएच- 14013/7/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2026

**S.O. 1387(E).**— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

**TABLE**

<b>National Highways No.</b>	<b>Section of National Highways</b>	<b>Chainage</b>
(1)	(2)	(3)
New NH-9	Rampur – Bilaspur – Inderpur Village – Uttar Pradesh/Uttarakhand Border near Kartarpur Village Section (In the State of Uttar Pradesh)	50.8 km.
New NH-9	Uttar Pradesh/Uttarakhand border near Kartapur Village – Bhamraula Village – Lalpur – Sitarganj Section (In the State of Uttarakhand)	38.8 km.
New NH-309	Junction with NH-9 at Rudrapur Bypass near Bhamraula Village –Indira Chowk (Rudrapur) – Koladiya Village – Kashipur Section (In the State of Uttarakhand)	70.5 km.

[F. No. NH-14013/7/2026-P&amp;M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026

**का.आ. 1388(अ).**— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की दिनांक 14 अगस्त, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3462 (अ), में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः

उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रमशः कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों के स्थान पर:-

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड (2)	चैनेज / लंबाई किमी में (3)
87 (नया एनएच-9,109)	उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड सीमा - रुद्रपुर - काठगोदाम खंड (उत्तराखंड राज्य में)	किमी. 43.30 से किमी. 91.00 तक

निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के अंतर्गत प्रतिस्थापित की जाएंगी:-

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड (2)	चैनेज / लंबाई किमी में (3)
नया एनएच-109	इंदरपुर गांव के निकट एनएच-9 का जंक्शन - उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड सीमा खंड (उत्तर प्रदेश राज्य में)	उत्तर प्रदेश राज्य में संपूर्ण एनएच
	उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड सीमा - कोलादिया गांव के पास एनएच-309 का जंक्शन - कल्याणपुर - काठगोदाम (पुराने एनएच-87 के किमी. 91.00 तक) खंड (उत्तराखंड राज्य में)	52.6 किमी

[फा. सं. एनएच- 14013/7/2026-पी एंड एम]  
शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 3462 (अ), दिनांक 14 अगस्त 2024 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2026

**S.O. 1388(E).**— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3462(E), dated the 14th August, 2024, namely:-

In the Table to the said notification, for the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively:-

National Highways No. (1)	Section of National Highways (2)	Chainage/length in km (3)
87 (New NH-9,109)	Uttar Pradesh/Uttarakhand Border – Rudrapur – Kathgodam Section (In the State of Uttarakhand)	km. From Km. 43.30 to Km. 91.00

the following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively, shall be substituted:-

National Highways No. (1)	Section of National Highways (2)	Chainage/length in Km. (3)
New NH-109	Junction of NH-9 near Inderpur Village – Uttar Pradesh/Uttarakhand Border Section (In the State of Uttar Pradesh)	Entire NH in the State of Uttar Pradesh
	Uttar Pradesh/Uttarakhand Border - Junction of NH-309 near Koladiya Village – Kalyanpur – Kathgodam (Up to km. 91.00 of Old NH-87) Section (In the State of Uttarakhand)	52.6 km.

[F. No. NH-14013/7/2026-P&M]  
SHAIKH AMINKHAN, Director

**Note:-** The principal notification was published vide number S.O. 3462(E), dated the 14th August, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026

**का.आ. 1389(अ).**— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों के अनुपालन में ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 23 और 24 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**तालिका**

(1)	(2)	(3)
"23	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 [(किमी 218.000 से किमी 368.000) रूद्रप्रयाग बाइपास सहित], सं. 87 [केवल काठगोदाम - नैनीताल - भवाली - अल्मोडा - रानीखेत - द्वाराहाट - अदबद्री - सिमली खंड से], सं. 94 [किमी 123 से किमी 218 (यमनोत्री के निकट धरासू से कुठनौर)], सं. 109 (रूद्रप्रयाग - गौरीकुंड), सं. 119, सं. 121, सं. 123, सं. 125 [किमी 0.000 से किमी 52.200 (सितारगंज - टनकपुर खंड) तक को छोड़कर], नई रारा सं. 107ए, नई रारा सं. 309ए, नई रारा सं. 309बी, नई रारा सं. 334ए, नई रारा सं. 707, नई रारा सं. 707ए और नई रारा सं. 731के के उतने भाग जो उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं।	उत्तराखंड राज्य सरकार"
"24	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2ए, सं. 11 [किमी 17.756 से किमी 42.525 (आगरा-उ. प्र./राजस्थान सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 24ए, सं. 27 [किमी 0.000 से किमी 46.004 (रारा 27 का नया संरेखण) इलाहाबाद से उ. प्र./म. प्र. सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 28बी, सं. 28सी [किमी 00.000 से किमी 93.000 (बाराबंकी - जरवाल - बहराइच - रुपईडिहा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 29 [किमी 2.225 से किमी 208.500 (वाराणसी - गोरखपुर खंड) और गोरखपुर बाइपास तक को छोड़कर], सं. 56 [किमी 11.500 से किमी 134.700 (लखनऊ - सुल्तानपुर खंड) तक को छोड़कर], सं. 58, [किमी 52.250 से किमी 152.00 (मेरठ-मुजफ्फरनगर-उ. प्र./उत्तराखंड सीमा) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 307 (रारा सं. 72ए का विस्तार) [किमी 0.00 से किमी 17.900 (छुटमलपुर-गणेशपुर खंड) और किमी 17.900 से किमी 34.900 (गणेशपुर-उ.प्र./ उत्तराखंड सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 75 [किमी 90.00 से किमी 103.00 (म. प्र./उ. प्र. सीमा से झांसी खंड) और किमी 1.900 से किमी 6.500 और किमी 12.000 से 24.000 और किमी 33.390 से किमी 40.225 और किमी 41.350 से किमी 43.240 और किमी 44.432 से किमी 82.100 (झांसी - नौगांव खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 76 [किमी 162.500 से किमी 178.000 (हमीरपुर चुंगी के निकट महोबा से कबराई खंड एनएच-86 के साथ ओवरलैप) को छोड़कर], सं. 86 [किमी 7.43 से किमी 167.600 (कानपुर- कबराई- उत्तर प्रदेश/ मध्य प्रदेश सीमा खंड) को छोड़कर], सं. 91 [किमी 23.600 से किमी 414.000 (गाजियाबाद-अलीगढ़-कानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 91ए, सं. 92 [केवल इटावा-भोंगाँव खंड], सं. 93 [किमी 0.00 से किमी 232.000 (आगरा-अलीगढ़-मुरादाबाद खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 96 (नई सं. 330) [किमी 95.100 से किमी 82.000 (कटका मोड़ - सुल्तानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 235 [किमी 7.469 से किमी 66.482 (मेरठ-हापुड खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 124डी, नई रारा सं. 321, नई रारा सं. 321जी, नई रारा सं. 727ए, नई रारा सं. 727एए, नई रारा सं. 730, नई रारा सं. 730ए, नई रारा सं. 730एच, नई रारा सं. 731एजी, नई रारा सं. 931 और नई रारा सं. 931ए, नई रारा सं. 330बी, नई रारा सं. 334ए, नई रारा सं. 334बी [किमी 0+000 से किमी 48+260 (डिजाइन चैनेज) (मेरठ - हरियाणा सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 334डीडी, नई रारा सं. 219, नई रारा सं. 227ए, नई रारा सं. 731ए, नई रारा सं. 124सी, नई रारा सं. 727बी, नई रारा सं. 727एच, नई रारा सं. 727जी, नई रारा सं. 328, नई रारा सं. 328ए, नई रारा सं. 330डी [किमी 38.853 से किमी 123.330 (प्रतापनगर-हरदोई-कन्नौज खंड) तक खंड	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार"

को छोड़कर], नई रारा सं. 730बी, नई रारा सं. 731बी, नई रारा सं. 731के, नई रारा सं. 727बीबी, नई रारा सं. 730एस, नई रारा सं. 730सी, नई रारा सं. 135सी, और नई रारा सं. 227बी के उतने भाग जो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।
--

[फा.सं. एनएच-14013/7/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार संख्या का.आ.- 1267(अ), तारीख 11 मार्च, 2026 द्वारा संशोधित किया गया था।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2026

**S.O. 1389(E).**— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 23 & 24 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

**TABLE**

(1)	(2)	(3)
"23	So much of National Highways No.58 [(km 218.000 to km 368.000) including Rudraprayag bypass], No. 87 [only from Kathgodam – Nainital – Bhowali – Almora – Ranikhet – Dwarahat – Adbadri – Simli Section], No. 94 [from Km. 123 to Km. 218 (Dharasu to Kuthnaur near Yamnotri)], No. 109 (Rudraprayag- Gaurikund), No. 119, No. 121, No. 123, No. 125 [excluding from km. 0.000 to km. 52.200 (Sitarganj- Tanakpur section)], new NH No. 107A, new NH No. 309A, new NH No. 309B, new NH No. 334A, new NH No. 707, new NH No.707A and new NH No. 731K as are situated within the State of Uttarakhand.	State Government of Uttarakhand".
"24	So much of National Highways No.2A, No.11 [excluding from Km 17.756 to Km 42.525 (Agra- UP/Rajasthan Border)], No.24A, No.27 [excluding from Km. 0.000 to Km. 46.004 (new alignment of NH 27) Allahabad to UP/MP Border Section)], No. 28B, No. 28C [excluding from Km. 00.000 to Km 93.000 (Barabanki- Jarwal- Bahariach- Rupaidiha Section)], No. 29 {excluding from Km. 2.225 to Km. 208.500 (Varanasi-Gorakhpur Section) and Gorakhpur Bypass}, No.56 [excluding from Km. 11.500 to Km. 134.700 (Lucknow Sultanpur Section)], No.58 [excluding from Km. 52.250 to Km. 152.00 (Meerut Muzaffarnagar - Uttar Pradesh / Uttarakhand Border)], new NH No. 307 (ext. NH No. 72A) [excluding from km 0.00 to km 17.900 (Chutamalpur Ganeshpur Section) and from km 17.900 to km 34.900 (Ganeshpur- U.P. / Uttarakhand Border Section)], No.75 [excluding from km. 90.00 to km. 103.00 (section from Madhya Pradesh/Uttar Pradesh Border to Jhansi) and from km. 1.900 to km.6.500 and from km. 12.000 to 24.000 and from km. 33.390 to km. 40.225 and from km. 41.350 to km. 43.240 and from km. 44.432 to km. 82.100 (Jhansi- Nowgaon Section)], No.76 [excluding From Km 162.500 to Km 178.000 (Mahoba near Hamirpur Chungi to Kabrai section overlapped with NH-86), No.86 [excluding From km. 7.430 to km. 167.600 (Kanpur - Kabrai - UP/ MP border section)], No. 91 [excluding from km. 23.600 to km. 414.000 (Ghaziabad- Aligarh- Kanpur Section)], No.91A, No. 92 [Etawah- Bhongaon Section only], No. 93 [excluding from km. 0.00 to km. 232.000 (Agra- Aligarh- Moradabad Section), No. 96 (new No. 330) [excluding from Km. 95.100 to Km 82.000 (Katka More- Sultanpur Section)], No. 235 [excluding from Km. 7.469 to Km. 66.482 (Meerut- Hapur Section)], new NH No. 124D, new NH No. 321, new NH No. 321G, new NH No. 727A, new NH No. 727AA, new NH No. 730, new NH No. 730A, new NH No. 730H, new NH No. 731AG New NH No. 931, and New NH No. 931A, new NH No. 330B, new NH No. 334A, New NH No. 334B [Excluding from Km 0+000 to	State Government of Uttar Pradesh".

Km 48+260 (Design Chainage) (Meerut- Haryana Border section)], new NH No. 334DD, new NH No. 219, new NH No. 227A new NH No. 731A, new NH No. 124C, new NH No. 727B, new NH No. 727H, new NH No. 727G, new NH No. 328, new NH No. 328A, new NH No. 330D [Excluding from km 38.853 to km 123.330 (Pratapnagar- Hardoi- Kannauj section)], new NH No. 730B, new NH No. 731B, new NH No. 731K, new NH No. 727BB, new NH No. 730S, new NH No. 730C, new NH No. 135C and new NH No. 227B as are situated within the State of Uttar Pradesh.
---

[F. No. NH-14013/7/2026-P&amp;M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

**Note:** - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1267 (E), dated the 11<sup>th</sup> March, 2026.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026

**का.आ. 1390(अ).**— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 452(अ), दिनांकित 16 मार्च, 2012 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की तालिका में क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा:-

87	9	रामपुर - बिलासपुर उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड सीमा (रामपुर- काठगोदाम का खंड)	किमी 0.000 (एनएच-24 के किमी 190.106) से किमी 43.30 तक
----	---	---	---

फा.सं. एनएच-14013/7/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना को का.आ. 452(अ), दिनांकित 16 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2026

**S.O. 1390(E).**— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 452(E), dated the 16th March, 2012, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

87	9	Rampur – Bilaspur Uttar Pradesh/Uttarakhand Border (of Rampur-Kathgodam Section)	From Km. 0.000 (Km. 190.106 of NH-24) to Km. 43.30
----	---	--	--

[F. No. NH-14013/7/2026-P&amp;M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

**Note:**-The principal notification was published vide number S.O. 452(E), dated the 16th March, 2012.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026

**का.आ. 1391(अ).**—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, दिनांकित 01 अप्रैल, 2013 में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 865 (अ), दिनांकित 01 अप्रैल, 2013 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा.सं. एनएच-14013/7/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2026

**S.O. 1391(E).**— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 865(E), dated the 1st April, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 1st April, 2013, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/7/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026

**का.आ. 1392(अ).**— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, दिनांकित 21 सितंबर, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3013 (अ), दिनांकित 21 सितंबर, 2016 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा.सं. एनएच-14013/7/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2026

**S.O. 1392(E).**— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3013(E), dated the 21st September, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 21st September, 2016, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/7/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director